

-:संशोधित आदेश:-

मुख्यालय के आदेश संख्या-1638/2021 दिनांक 01.10.2021 द्वारा माह-नवम्बर 2021 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था।

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झांसी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2021 द्वारा सूचित किया है कि अस्वस्थता के कारण दिनांक 22.11.2021 एवं दिनांक 23.11.2021 को आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे तथा गठित युगल पीठ को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। दिनांक 24.11.2021 को स्थानीय अवकाश है।

मैं भी अपनी अस्वस्थता से अवकाश पर रहने के कारण नोएडा में गठित खण्डपीठ में दिनांक 23.11.2021 से दिनांक 27.11.2021 तक जाने में असमर्थ हूँ।

अतः समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए झांसी में गठित युगल पीठ दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 24.11.2021 तथा नोएडा में युगल पीठ दिनांक 23.11.2021 से दिनांक 27.11.2021 तक निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/21.11.2021

(विनय सिंह)

एच0जे0एस0

प्रभारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/युगल पीठ/1840 /2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 व 2, नोएडा/पीठ-1, लखनऊ/पीठ-2, मेरठ/पीठ-1 व 4, कानपुर।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
3. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।